

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक— /39-1, पीलीभीत, दिनांक 11/08/2016

निविदा सूचना

सार्वसधारण को सूचित किया जाता है कि माओ राज्यमाल, उत्तर प्रदेश, की ओर से सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत की बीसलपुर रेंज अन्तर्गत पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग कि०मी० 15-23 तक बिकगावर्ड के निर्माण में प्रयोगार्थ द्वितीय श्रेणी की ईटों/पलाई एश ईटों की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदा दाताओं से सीलबन्ध निविदा दिनांक- 26.08.2016 के साय 3.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा आनवित की जाती है जो उसी दिन साय 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा मनीनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने के अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

कार्य का नाम	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	आपूर्ति की मात्रा	सामग्री आपूर्ति की अवधि
1	2	3	4	5
द्वितीय श्रेणी की ईटों/पलाई-एश ईटों	10000.00	100.00	लगभग 76800	15.09.2016 तक

शर्तें-

1. निविदा के साथ बन्धक धनराशि एफ०डी०आर०/ड्राफ्ट के रूप में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा कोबल रजिस्टर्ड डाक से दिनांक- 26.08.2016 को साय 03.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।
3. आपूर्ति कर्ता को निर्धारित अवधि के अन्दर ईटों /पलाई एश ईटों की आपूर्ति पूर्ण करना होगी।
4. सामग्री की मात्रा घट या बढ़ सकती है।
5. समस्त देय करों की नियमानुसार कटौती आपूर्ति कर्ता को भुगतान से की जायेगी।
6. बिना जमानत के निवादा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. मानक एवं गुणवत्ता प्रत्येक चक्कर में चेक की जायेगी मानक में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी उसके लिये आपूर्ति कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. द्वितीय श्रेणी ईटों/पलाई एश ईटों की आपूर्ति बीसलपुर रेंज अन्तर्गत पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग कि०मी० 15-23 तक पर करनी होगी।
9. राजकीय हित में लिये गये निर्णय निविदा दाता द्वारा मान्य होंगे।
10. उक्त सम्बन्धी किसी प्रकार के बाद विवाद का निस्तारण स्थानीय स्तर पर मान्य होगा।

A. Kumar
(आदर्श कुमार)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक 372/39-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आदर्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, सहैलखण्ड जॉन, उत्तर प्रदेश, बरेली।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बरेली वृत्त, बरेली।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बरेली वृत्त, बरेली।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत।
6. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
7. समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत।
8. अध्यक्ष जिला पंचायत, नोटिस बोर्ड हेतु।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
10. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, पीलीभीत

A. Kumar
(आदर्श कुमार)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत